कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ

संख्याः एम0ई0–3/2023 लखनऊःदिनांक 04 अक्टूबर 2023

नीट पी0जी0 बैच 2019 (एम0डी0/एम0एस0) बैच के अभ्यर्थियों को अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड के अन्तर्गत सहायक आचार्य के पद पर इन–पर्सन काउंसिलिंग के माध्यम से सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचना एवं दिशा–निर्देश

काउंसिलिंग स्थल–सेन्टर फॉर टेलीमेडिसिन, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ

शासनादेश संख्या–950/71–2–82/2017 दिनांक 07 मार्च 2018 तथा शासनादेश संख्या–I/342805/2023 दिनांक 04 जुलाई 2023 में निहित निर्देशों के कम में **नीट पी0जी0 2019 (एम0डी0/एम0एस0) बैच** के अभ्यर्थियों को अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड के अन्तर्गत ऑनलाईन इन–पर्सन काउंसिलिंग के माध्यम से **सहायक आचार्य के पद पर** सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में समय–सारणी एवं दिशा–निर्देश निम्नवत हैः–

क0सं0	विशिष्टता	दिनांक	समय
01	साइक्याट्री, फोरेन्सिक मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री, रेडियोथेरेपी, ट्रान्सफ्यूजन मेडिसिन, एनेस्थीसिया, एनाटमी, फिजियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, ई0एन0टी0, इम्यूनोलॉजी एण्ड ब्लड ट्रान्सफ्यूजन	06.10.2023	पूर्वान्ह 11:00 बजे से
02	आर्थोपेडिक्स, पल्मोनरी मेडिसिन, जनरल सर्जरी, आब्स. एण्ड गायनी., पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, कम्यूनिटी मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी तथा ऑफथलमोलॉजी स्किन एण्ड वी0डी0, रेडियोडायग्नोसिस, पी0एम0आर0 तथा पीडियाट्रिक्स	09.10.2023	पूर्वान्ह 11:00 बजे से

- नीट पी0जी0 2018 (एम0डी0/एम0एस0)बैच के ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होने नीट पी0जी0 2019 (एम0डी0/एम0एस0) बैच के साथ अन्तिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की है, इस काउंसिलिंग हेतु अर्ह होंगे।
- सीटों का आवंटन रिक्त सीटों के सापेक्ष सम्बन्धित बैच की ऑल इंडिया रैंक, श्रेणी, विकल्प के आधार पर किया जायेगा।
- आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उ0प्र0 से बाहर के निवासी है, उन्हे अनारक्षित माना जाएगा।
- आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के निवासियों को ही देय होगा। आरक्षण का लाभ लेने हेतु आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी तथा ई0डब्लू0एस0 श्रेणी का प्रमाण पत्र दिनांक 01.4.2023 अथवा उसके बाद का ही मान्य होगा। आरक्षण से सम्बन्धित उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।
- अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड के अन्तर्गत 2019 बैच के तैनात ऐसे, अभ्यर्थी जो सहायक आचार्य के पद पर सेवायोजित होने के इच्छुक हो, केवल वही काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करें। 2019 बैच के अन्य अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने की आवश्यकता नही है ।
- **दिनांक 30 सितम्बर 2023 तक 01 वर्ष की सीनियर रेजीडेण्ट का अनुभव धारित करने वाले अभ्यर्थी ही सहायक आचार्य पद पर आवंटन हेतु अर्ह होंगे। इस हेतु अभ्यर्थी को दिनांक 30 सितम्बर 2023 तक 01 वर्ष की सीनियर रेजीडेन्सी पूर्ण होने का प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य है।**
- **काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने पिछले वर्ष के सीनियर रेजीडेन्सी के आवंटन पत्र एवं सम्बन्धित कालेज द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा में आवंटन की कार्यवाही पर विचार नहीं किया जायेगा।**

❖ सहायक आचार्य के पद पर आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को नई आवंटित सीट पर योगदान देना अनिवार्य होगा। नई सीट आवंटित होने पर पूर्व में आवंटित सीनियर रेजीडेण्ट की सीट पर अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा, जिस पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नही होगा।
❖ उक्त काउंसिलिंग के माध्यम से सहायक आचार्य के पद पर आवंटन प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी सीनियर रेजीडेण्ट के पद हेतु आयोजित होने वाली काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह नहीं होंगे।
❖ काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी को अपना नीट पी०जी० 2019 का प्रवेश पत्र एवं स्कोर कार्ड जिसमें, उनकी ऑल इंडिया रैंक उल्लिखित हो, के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
❖ **काउंसिलिंग के समय अथवा काउंसिलिंग के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा भ्रामक/कूटरचित अभिलेखों के आधार पर आवंटन प्राप्त कर लिया गया है, तो उसके विरूद्व आई०पी०सी० की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कराते हुए अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।**
❖ काउंसिलिंग केवल रिक्त सीटें उपलब्ध रहने तक ही सम्पादित की जायेगी।
❖ अद्यतन सूचनाओं हेतु विभागीय वेबसाइट https://www.dgme.up.gov.in का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

(किंजल सिंह)
महानिदेशक।

संख्याः एम०ई०–3/2023/2420 तद्दिनांक/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–चार।
2. निदेशक, एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ।
3. कार्यकारी निदेशक, यू०पी०टी०एस०यू०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त तिथियों में आवश्यक तकनीकी व्यवस्थाएं कराने का कष्ट करें।
4. सदस्य, काउंसिलिंग बोर्ड को इस आशय से प्रेषित कि काउंसिलिंग
5. स्थल पर निर्धारित तिथि/समय पर उपस्थित होने का कष्ट करें।
6. कुलसचिव, के०जी०एम०यू०/यू०पी०यू०एम०एस०, सैफई/निदेशक, एस०जी०पी०जी०आई लखनऊ/डा० मनोहर लोहिया, लखनऊ/मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र, आगरा/राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा/पी०जी०आई०सी०एच०, नोएडा/सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ/होमी भाभा कैंसर हास्पिटल, वाराणसी/प्रधानाचार्य समस्त राजकीय/स्वशासी मेडिकल कालेज, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को नोटिस बोर्ड एवं कालेज की बेवसाईट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करे।
7. नाजिर, महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को इस आशय से प्रेषित कि उक्त तिथियों में आवश्यक व्यवस्थाएं करना सुनिश्चित करें।
8. शिविर सहायक, महानिदेशक कैम्प, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ, उ०प्र०।

(किंजल सिंह)
महानिदेशक।

Desktop/DataFile/Letter